371

संख्याः 592/XI/14/56(1)2013.T.C-II

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त ,
ग्राम्य विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड पौडी।

ग्राम्य विकास अनुभाग। देहरादून, दिनांकः 26 दिसम्बर, 2014

विषय– जनपद बागेश्वर की रिखाड़ी–बाछम मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर 09 बैली ब्रिजेज के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पत्र संख्या NB-SPD/RIDF-XX (Uttarakhand) /144 PSC Dt. 11.11.2014 द्वारा जनपद बागेश्वर के रिखाड़ी– बाछम मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर 09 बैली ब्रिजेज, जिसकी कुल लागत ₹ 1989.99 लाख है, जिसमें से ₹ 1790.99 लाख नाबार्ड द्वारा तथा ₹ 199.00 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है, की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– अतः उक्त बैली ब्रिजेज के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अर्न्तगत संचालित "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) " योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित बजट की धनराशि में से ₹ 1989.99 लाख (₹ उन्नीस करोड नवासी लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुये निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को तत्काल आहरित कर नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, यूआरआरडीए के निवर्तन पर रखा जाना सुनिश्चित करें।

2– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

3– कार्य पर मदवार मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

6– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

9– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10– ₹ 632.36 लाख के अतिरिक्त आगणन में प्राविधानित धनराशि ₹ 1351.77 लाख के कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्यवाही की जाए।

क्रमशः.....2

11– इस सम्बन्ध में नाबार्ड द्वारा निर्गत सम्बन्धित नियमो/दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– इस सम्बन्ध में नाबार्ड से प्राप्त धनराशि का लेखा–जोखा पृथक से रखा जायेगा, तथा नाबार्ड की शर्तों के अनुरूप प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

13– चूँकि प्रश्नगत् वैली ब्रिजेज के प्रस्ताव/आंगणन वर्ष 2013 में राज्य में आयी आपदा को देखते हुये आपात स्थिति के मुताबिक तत्काल निर्माण किये जाने हेतु गठित/प्रस्तावित किये गये थे, लेकिन वर्तमान/इस समय कोई आपात स्थिति नही है, इसलिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआरआरडीए द्वारा अपने स्तर से वैली ब्रिजेज के लिये गठित आंगणन में रखे गये दरों का लोक निर्माण विभाग की दर के हिसाब से तकनीकी परीक्षण करायेंगे, तथा तकनीकी परीक्षण के उपरान्त इनकी दर औचित्यपूर्ण पाये जाने पर ही प्रश्नगत् निविदा को स्वीकृत करते हुये अवार्ड आदि किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान सं0–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–102–सामुदायिक विकास –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0106–प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) 24–वृहत् निर्माण कार्य के अर्न्तगत वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या– 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर अलॉटमैन्ट आई0डी0 **S1412190251** जनरेट कर जारी किये जा रहे है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या।11(P)XXVII-4/14 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 द्वारा दी गयी सहमति के कम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विनोद कोनिया)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
2– मुख्य अभियन्ता स्तर–1, (कुमायूँ), अल्मोड़ा,/(गढवाल मण्डल) देहरादून।
3– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
4– वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
5– मुख्य कोषाधिकारी, पौडी गढवाल।
6– आयुक्त, गढवाल/कुमायूँ।
7– प्रभारी एन0आई0सी0, देहरादून।
8– बजट राजकोषीय नियोजन, सचिवालय देहरादून।
9– महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा) माजरा, देहरादून।
10– महालेखाकार (माजरा) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105 इन्दिरा नगर देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
अनु सचिव।

PMGSY/G.O.DOCX

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - /xi/14/56(01)2013T.C.II

अलोटमेंट आई डी - S1412190251

अनुदान संख्या - 019

आवंटन पत्र दिनांक - 24-Dec-2014

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

लेखा शीर्षक 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 00 -

102 - सामुदायिक विकास 01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

06 - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

Plan Voted

आवंटन मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
14 - वेतन विभिन्न मार्ग	1540410000	198999000	1739409000
	1540410000	**198999000**	**1739409000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - **198999000**